दुर्घटना स्थल पर उपस्थित रेल सेवकों के कर्तव्य

दीपक कुमार रावत
(अनुदेशक नागरिक सुरक्षा)

- रेलवे का मुख्य कार्य यातायात उत्पन्न करना एवं इसका विक्रय करना है। यातायात का सम्बन्ध गति से है। जहॉ गति है वहा संरक्षा स्वमेव आवश्यक हो जाती है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर रेल अधिनियम 1989 की धारा 60 के तहत रेलवे बोर्ड द्वारा गाड़ियों के कुशल संचालन के लिए नियम और विनिमय बनाये जाते है। जिन्हे सामान्य नियम के नाम से जाना जाता है। जिसमें सामान्य एवं असामान्य परिस्थितियों में गाड़ियों के संचालन की व्यवस्था दी गयी रहती है साथ ही इसकी मदद के लिए दुर्घटना नियमावली भी बनायी गयी है।

रेल सेवकों के कर्तव्य

- सामान्य नियम 2.05 अतिचार , नुकसान या हानि की रोकथाम
- सामान्य नियम 2.11 संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य
- दुर्घटना नियमावली 2.03 जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य
- दुर्घटना नियमावली 2.04 प्रत्येक रेल कर्मचारी द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान करना

- दुर्घटना नियमावली 4.01 जानकारी में आने वाली दुर्घटना की सूचना देने के बारे में रेल कर्मचारियों के कर्तव्य
- दुर्घटना नियमावली 4.02 दुर्घटना की सूचना द्रुतगामी साधन द्वारा भेजना
- दुर्घटना नियमावली 4.03 दुर्घटना स्थल से भेजी गई सूचना का यथासम्भव सही होना

दुर्घटना नियमावली 2.02 आपदा प्रबन्धन में कार्यवाही की प्राथमिकताएं

- जीवन रक्षा एवं कष्ट को कम करना
- घायलों का उपचार, यात्रियों को सहायता
- डाक और सम्पत्ति की रक्षा
- यातायात की पुनः स्थापना

गार्ड, चालक एवं उपस्थित प्रभारी के कर्तव्य

- दुर्घटना नियमावली 6.01 उपस्थित रेल कर्मचारियों एवं गार्ड/चालक के कर्तव्य
- दुर्घटना नियमावली नि. 7.01 सम्भावित तोड़–फोड़ के कारण होने वाली गाड़ी के अवपथन और किसी गम्भीर परिणामें की स्थिति में गार्ड इंजन कर्मी दल और रेल कर्मचारियों के कर्तव्य
- दुर्घटना नियमावली नि. 2.07 दुर्घटना होने पर गार्ड द्वारा बस या ट्रक की मांग

- सा. नि. 6.02 दुर्घटना होने या संचार साधन विफल होने पर रेल संचालन
- सा. नि. 6.03 ब्लाक खण्ड में विफल गाड़ी की रक्षा
- सा. नि. 6.06 प्रस्थान प्राधिकार के बिना ब्लाक सेक्शन में गाडी

गार्ड/चालक द्वारा गाड़ी की रक्षा करना

1- ,e- th-

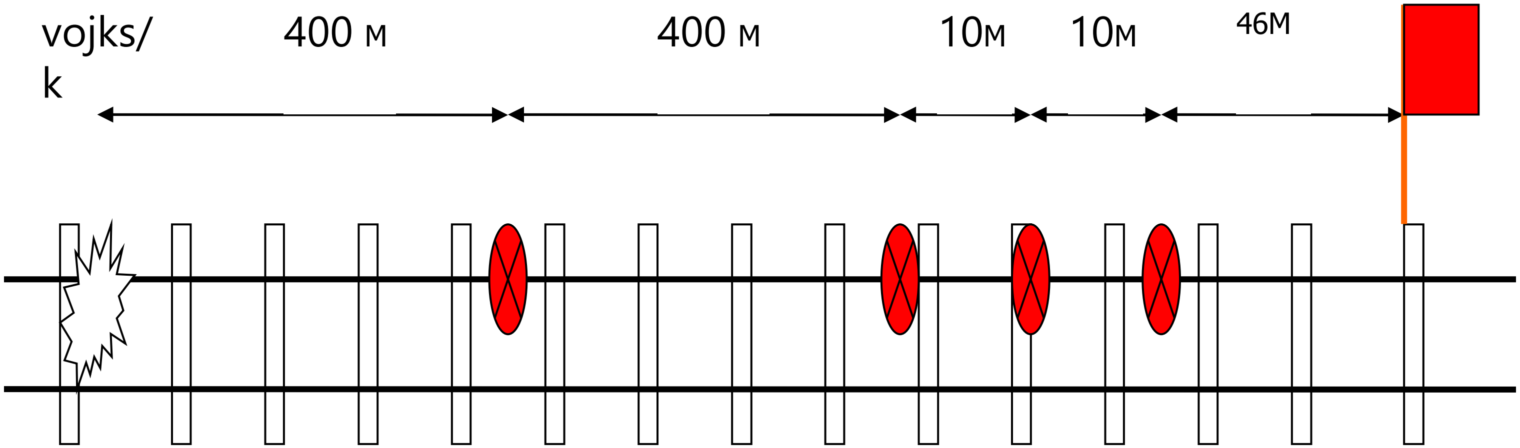

vojks/

iVkdk flxuy

fnu esa yky >aM+h rFkk jkr esa yky cRrh

2. बी. जी.

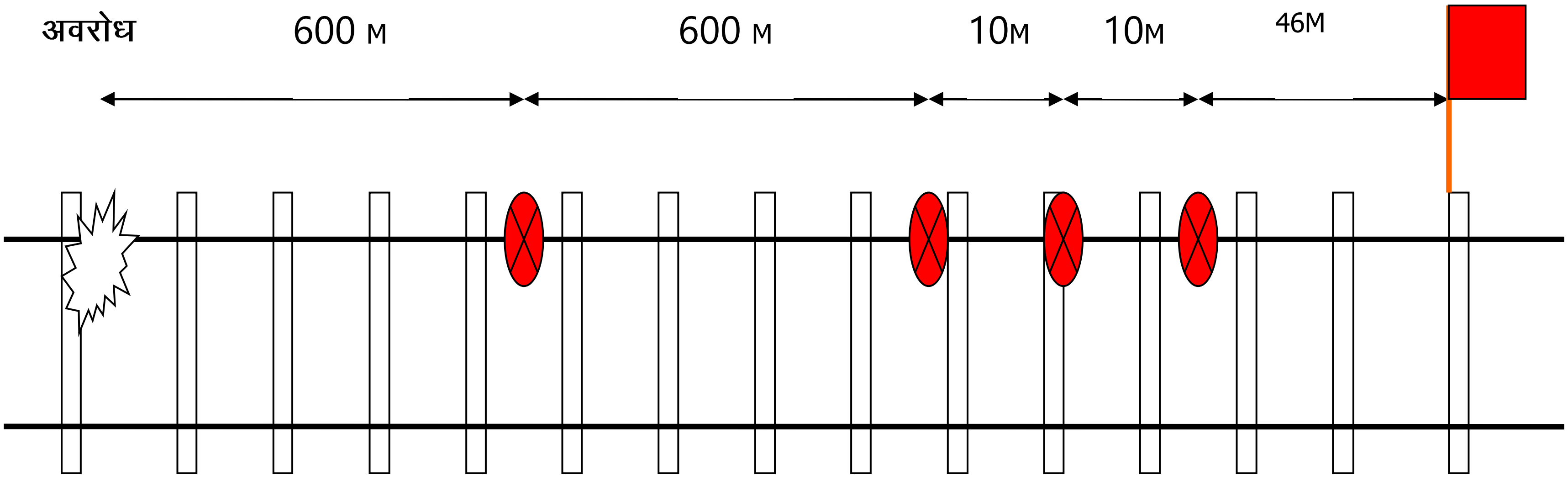

अवरोध

पटाका सिगनल

दिन में लाल झंड़ी तथा रात में लाल बत्ती

3- स्वचालित ब्लाक पद्धति

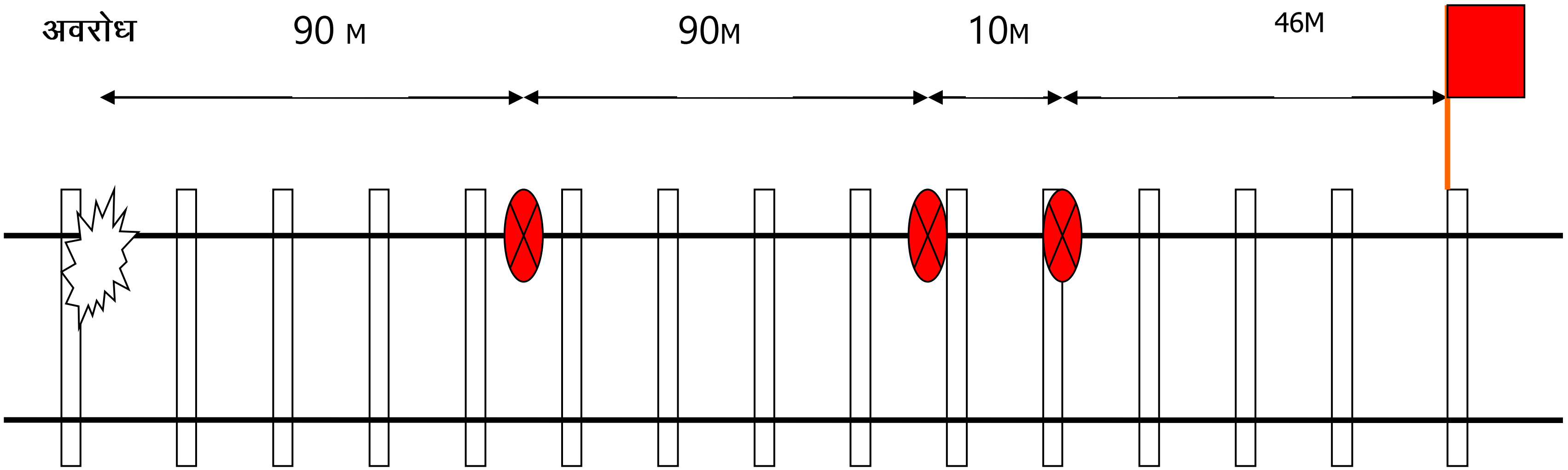

अवरोध

पटाका सिगनल

दिन में लाल झंड़ी तथा रात में लाल बत्ती

4.टोटल इन्ट्रप्शान के समय

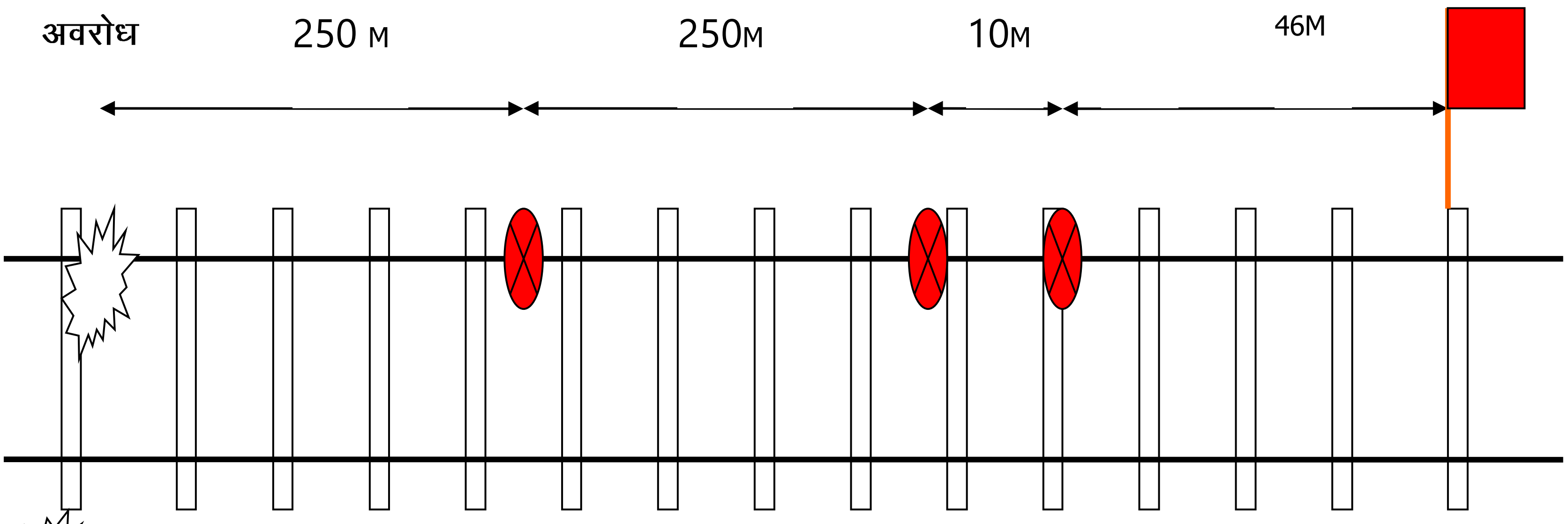

अवरोध पटाका सिगनल

दिन में लाल झंड़ी तथा रात में लाल बत्ती

5- मिक्स गेज

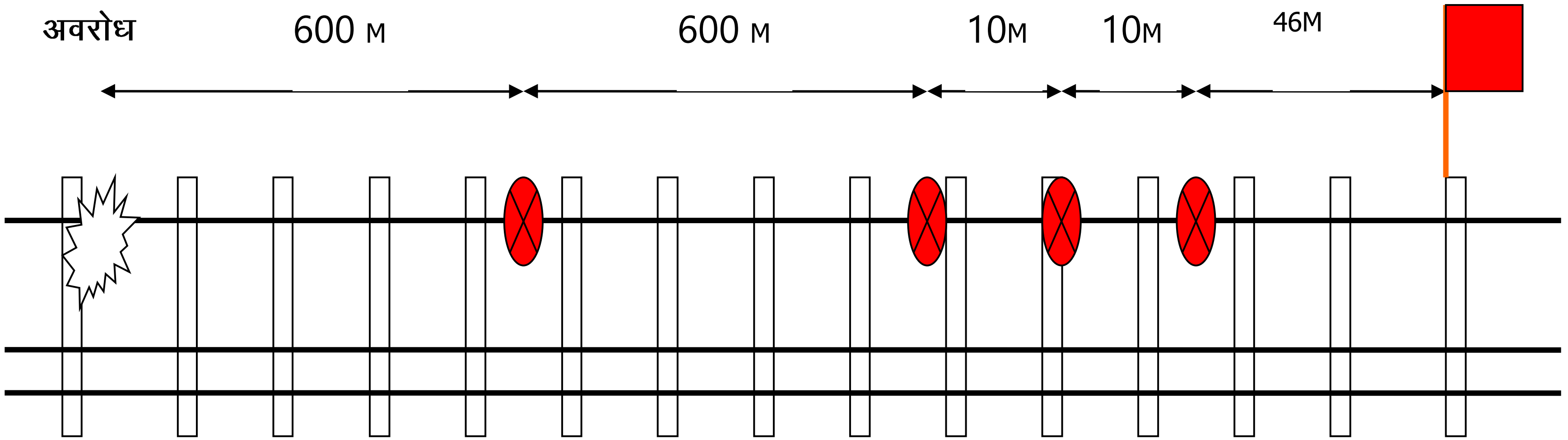

अवरोध

पटाका सिगनल

दिन में लाल झंड़ी तथा रात में लाल बत्ती

6- गेंटुलेटेड ट्रैक

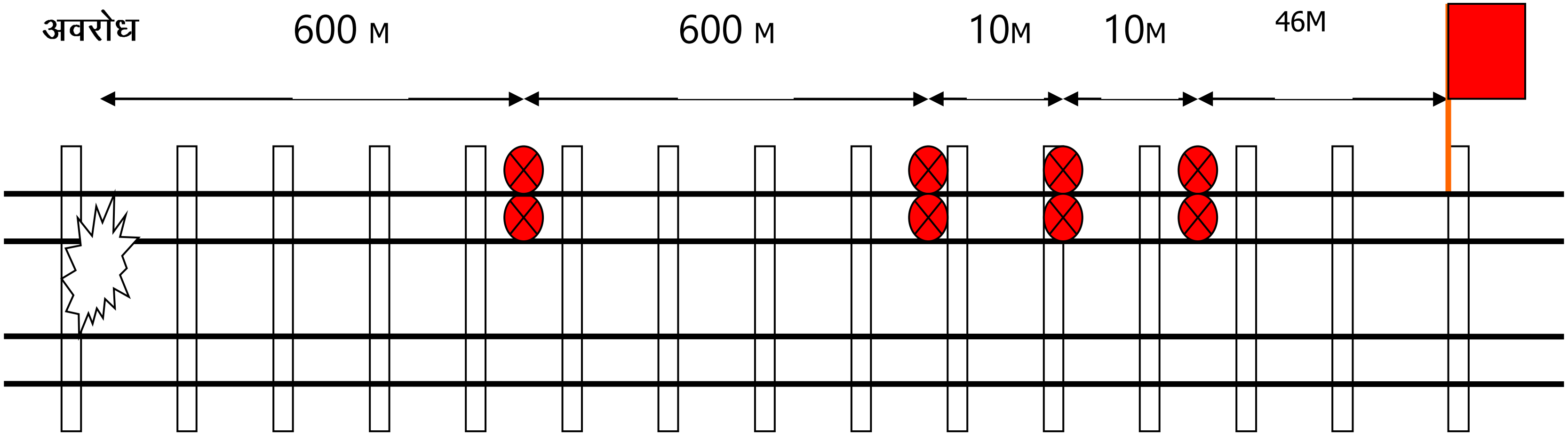

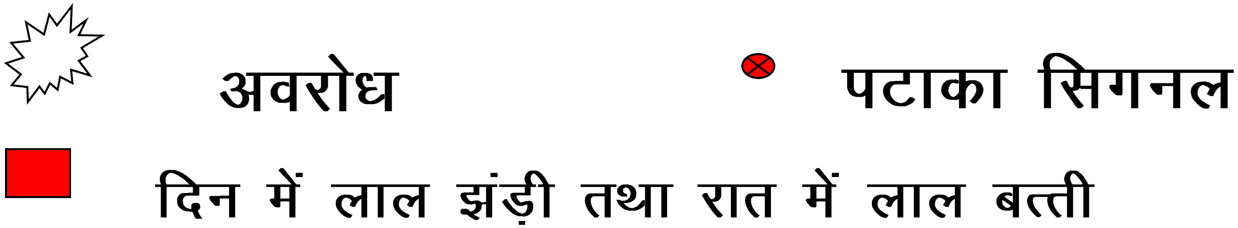

स. नि. 2.11 चक्रवात, आँधी, तूफान के समय ट्रेन संचालन

रेलगाड़ी की आग के समय कार्यवाही

दु. नि. नि. 6.08 गाड़ी मे आग लगने पर की जाने वाली कार्यवाही

सा. नि. 6.10 आग लगना

1. यदि गाड़ी के पीछे के चल स्टाक में आग लगी है उसे अनकपल करके शेष गाड़ी को पर्याप्त दूरी आगे खींचने के बाद आग बुझाने की व्यवस्था करें।

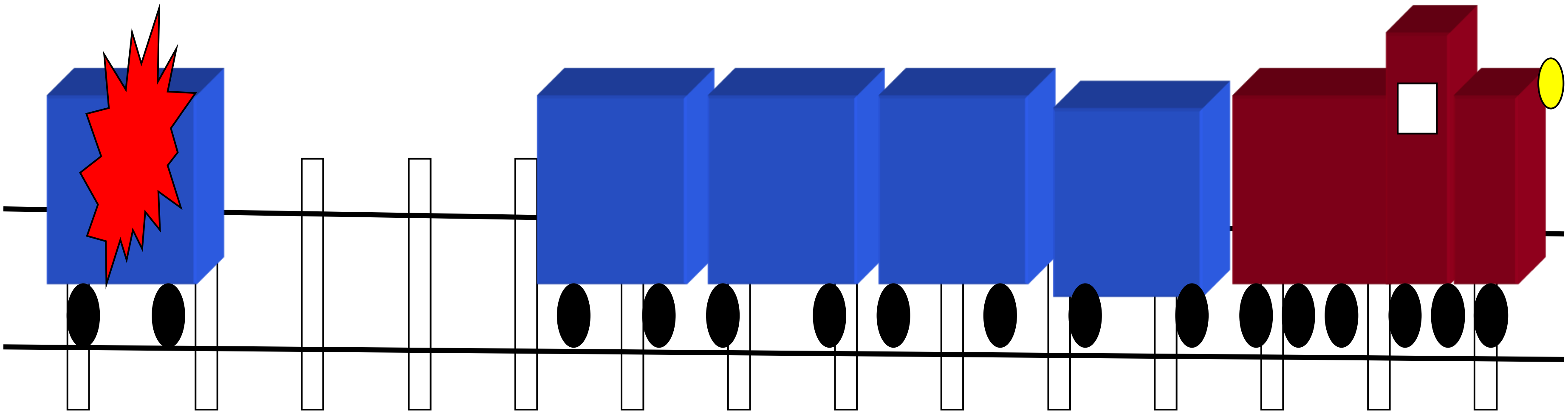

2. यदि गाड़ी के बीच के किसी चल स्टाक में आग लगी हो उस प्रभावी चल स्टाक के पीछे की कपलिगं खोलकर पीछे के लोड से पर्याप्त दूरी आगे खींच लें। पुनः उस चल स्टाक के आगे की कपलिंग खोल कर अगले लोड को पर्याप्त दूरी आगे खींचने के बाद आग बुझाने की व्यवस्था करें

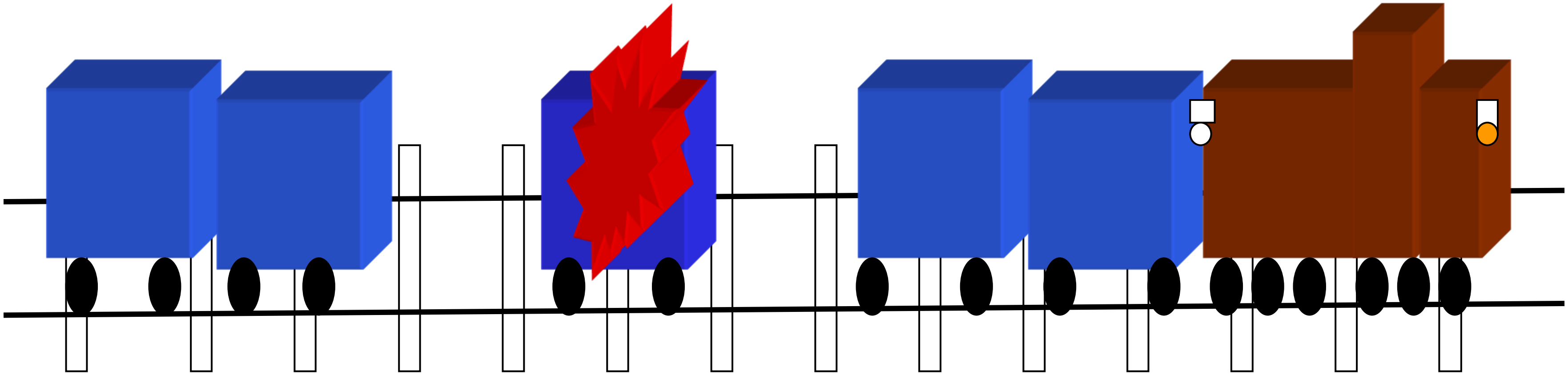

3. यदि कार्यरत लोकोमोटिव में आग लगी है तो लोड से अनकपल करके पर्याप्त दूरी आगे चलाकर कर खड़ा कर लें। इंजन शट डाउन कर दें तथा फ्यूल पम्प मोटर को भी बन्द करें तथा आग बुझायें।

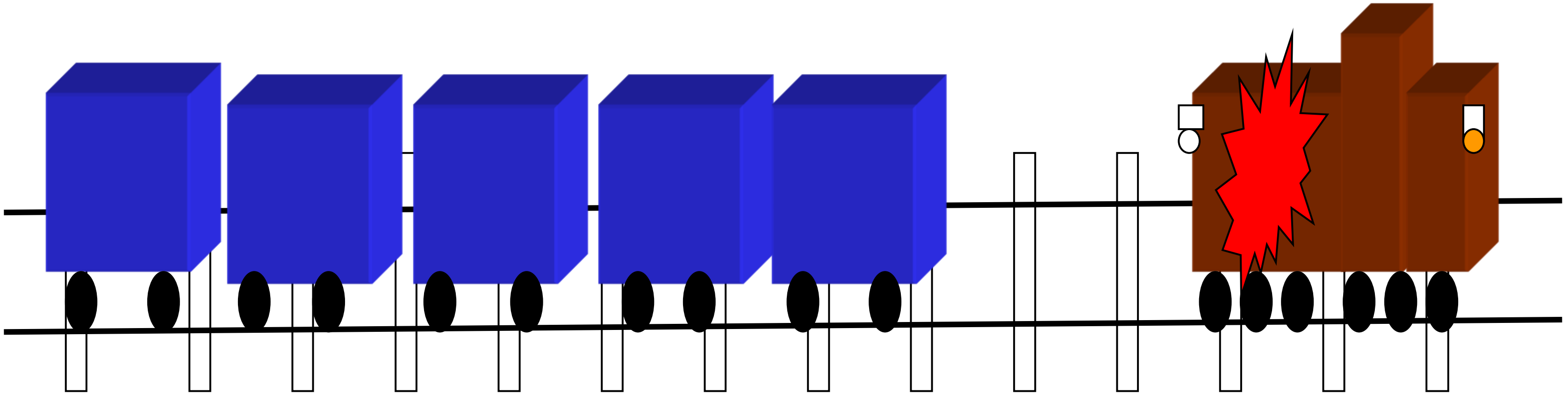

4- यदि प्रभावित चल स्टाक स्टेशन यार्ड में है तथा उसके बगल में कोई लोड है तो प्रभावित चल स्टाक को उस लोड से भी दूर किया जाना चाहिए, इसके लिये स्टेशन मास्टर को सूचित करें कि बगल के लोड को तुरन्त हटा लें।

आग बुझाने में सावधानी

- आग के कारणों का सूक्ष्मता से जॉच करें।
- यदि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है तो सर्किट को आफ करके आग बुझायें।
- यदि ग्रीज/तेल को आग ने पकड़ लिया है तो फोम/पाउडर टाइप अग्निशामक की सहायता से आग बुझायें।
- यदि आग साधारण है तो पानी से या धूल बालू डाल कर बुझाया जाय।

नोट– पाउडर टाइप रसायनिक अग्नि शामक द्वारा हर प्रकार के आग को बुझाया जा सकता है।

धन्यवाद